भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 273
जिसका उत्तर गुरुवार, 03 फरवरी, 2022 को दिया जाना है

न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली में पारदर्शिता

273 श्री वाई. एस. चौधरी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यायपालिका के भीतर से और संसद सदस्यों तथा अन्य विधि संबंधी विशेषज्ञों की ओर से न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली को बदले जाने की मांग की गई है, ताकि व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही लाई जा सके ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) उच्चतम न्यायालय से परामर्श करके न्यायाधीशों की नियुक्ति में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ;

(घ) क्या सरकार ने न्यायपालिका को सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को नामों की सिफारिश करते समय आरक्षित वर्गों के सदस्यों के नाम शामिल करने के लिए लिखा था, और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा/वर्तमान स्थिति क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ग) : उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की नियुक्तियों की कालेजियम प्रणाली को बदलने के लिए और उसे अधिक व्यापक तथा पारदर्शी बनाने के लिए सरकार, संविधान (निन्यानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2014 और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम, 2014 को तारीख 13.04.2015 से प्रवर्तन में लाई है । तथापि, दोनों अधिनियमों को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई थी। उच्चतम न्यायालय ने दोनों अधिनियमों को अपने निर्णय तारीख 16.10.2015 द्वारा असंवैधानिक और शून्य घोषित किया है । संविधान (निन्यानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2014 के प्रवर्तन से पूर्व यथा विद्यमान कालेजियम प्रणाली को प्रवर्तनशील होना घोषित किया गया था ।

तत्पश्चात्, उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश तारीख 16.12.2015 द्वारा सरकार को निदेश दिया कि वह शिकायतों का निपटान करने के लिए पात्रता मानदंड, पारदर्शिता, सचिवालय और तंत्र की स्थापना पर विचार करते हुए उच्चतम न्यायालय कालेजियम से परामर्श करके एमओपी को अनुपूरित करके विद्यमान एमओपी को अंतिम रूप दे । सम्यक् विचार-विमर्श के पश्चात् भारत सरकार ने, विदयमान एमओपी में परिवर्तनों का प्रस्ताव किया था और प्रारूप एमओपी भारत के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति को पत्र तारीख 22.03.2016 द्वारा भेजे गए थे । उच्चतम न्यायायलय

कालेजियम (एस सीसी) के प्रत्युत्तर तारीख 25.05.2016 और 01.07.2016 को प्राप्त हुए थे । एससीसी के विचारों के उत्तर में सरकार की टीका-टिप्पणियां भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को तारीख 03.08.2016 को सूचित कर दी गई थीं । एससीसी ने तारीख 13.03.2017 को प्रारूप एमओपी पर सरकार के विचारों पर अपनी टीका-टिप्पणियां दी थीं । इस मुद्दे पर सरकार का रुख सचिव (न्याय) के पत्र तारीख 11.07.2017 द्वारा उच्चतम न्यायालय के महा सचिव को सूचित किया गया था । एमओपी को एससीसी के परामर्श से सरकार द्वारा अंतिम रूप दिया जा रहा है ।

(घ) और (ङ) : उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 224 के अधीन की जाती है । ये अनुच्छेद किसी भी जाति या वर्ग के व्यक्तियों के लिए आरक्षण का उपबंध नहीं करते हैं । तथापि, सरकार, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों से अनुरोध करती रही है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्तावों को भेजते समय, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यक वर्गों के उपयुक्त अभ्यर्थियों तथा महिलाओं पर सम्यक् ध्यान दिया जाए ।

****